न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–179/2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम राजदेव महतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
03/01/2020	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1106/भी0ओ0, दिनांक–09.07.2018 से प्राप्त बहादुरपुर थाना कांड सं0–93/18 दिनांक 11.03.18 धारा 30(ए)/37(बी) बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 में जब्त वाहन आयशर ट्रक निबंधन सं0–BR06GB-7739 के अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण राज्यसात् हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात विपक्षी वाहन स्वामी का प्रत्युत्तर प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। विपक्षी वाहन स्वामी रास बिहारी यादव, पिता–पलटन यादव, ग्राम घरभतरा, थाना–विस्फी, जिला–मधुबनी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि बहादुरपुर थाना के द्वारा झूठा एवं बिना आरोप के जब्त किया गया है। विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत् वाहन को विमुक्त नहीं किये जाने पर उन्हें भारी नुकसान होगा। वे वाहन विमुक्ति हेतु निदेशानुसार कागजात जमा करने को तैयार हैं। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती एवं वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी के क्रम में एकमीघाट के पास शोभन की ओर से ट्रक नं0– BR06GB-7739 के चालक को काफी तेजी से दायें–बायें करते हुए चलाकर एकमी घाट की ओर आ रही थी, तो ट्रक चालक को गाड़ी रोकने का इशारा करते हुए चिल्लाया, लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस को देखते ही ट्रक को काफी तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास किया तो पुलिस पदाधिकारी एवं बल के सहयोग से ट्रक को पीछा कर पकड़ा गया। ट्रक चालक एवं केबिन में बैठे एक व्यक्ति को ट्रक से नीचे उतारकर उनका नाम पता पूछने के क्रम में दोनों के मुँह से काफी शराब पीने की गंध आ रही थी, जिसका श्वास परीक्षण कराया गया। अभियुक्त रविराम का टेस्ट रिजल्ट–*60.1mg/100ml* पाया गया एवं अभियुक्त रामदेव महतो का टेस्ट रिजल्ट–73.3mg/100 ml पाया गया। ट्रक का विधिवत् तलाशी लिया गया, जिसमें ट्रक के बाडी में सब्जी भरा हुआ था तथा केबिन की तलाशी लेने पर चालक के सीट के नीचे से दो अंग्रेजी शराब का बोतल (1) मैक्डोवेल नं0–1 XXX RUM, अंग्रेजी शराब 750ml का बैच नं0–054 का एक बोतल फोर सेल वेस्ट बंगाल लिखा हुआ (2) मैक्डोवेल नं0–1 XXX RUM, अंग्रेजी शराब 375ml का बैच नं0–055 का एक बोतल फोर सेल वेस्ट बंगाल लिखा हुआ पाया गया, जिसे विधिवत् जब्त करते हुए मालखाना में रखा गया तथा जब्त ट्रक को थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि उक्त	

अभियुक्त नहीं है। साथ ही उक्त जब्त ट्रक से मात्र 02 (दो) बोतल शराब बरामद हुआ है। यह कृत्य उक्त ट्रक के चालक द्वारा किया गया है जो उक्त थाना कांड के अभियुक्त है। उक्त जब्त शराब की मात्रा को देखते हुए अवैध शराब का परिवहन अथवा व्यापार परिलक्षित नहीं होता है। अतः वाहन स्वामी के द्वारा बंध पत्र, शपथ पत्र तथा दो प्रतिभूति प्राप्त करते हुए वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि बहादुरपुर थाना कांड सं0–93/18 दिनांक 11.03.2018 में जब्त ट्रक से मात्र 02 (दो) बोतल शराब बरामद हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त ट्रक के चालक द्वारा निजी सेवन के लिए रखा गया था, इससे अवैध शराब का व्यापार एवं परिवहन प्रतीत नहीं होता है और न ही ट्रक के स्वामी उक्त थाना कांड के अभियुक्त हैं।

उक्त के आलोक में तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी के आदेश दिनांक 05.10.2018 से वाहन स्वामी को वाहन की विमुक्ति हेतु बंधपत्र, शपथ पत्र तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर दो प्रतिभूति दाखिल करने हेतु आदेश दिया गया है। तदालोक में वाहन स्वामी की ओर से शपथ पत्र, बंधपत्र तथा दो प्रतिभूति क्रमशः (1) राधेलाल भगत, पिता–मुल्हाई भगत, ग्राम–बकतपुर, थाना–कांटी, जिला–मुजफ्फरपुर का वाहन पंजीयन सं0–BR06GC-2721 (JCB) कीमत बीमित मूल्य के बराबर मो0–18,27,563/- (अठरह लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ तिरसठ रूपये) मात्र (2) प्रेमचन्द्र कुमार, पिता–रामजनम सहनी, ग्राम–औसनगर, बिशुनपुर गंगा, पो0 बकतपुर, थाना–कांटी, जिला–मुजफ्फरपुर का वाहन पंजीयन सं0–BR06BM-4664 (Maruti Suzuki Boleno) कीमत बीमित मूल्य के बराबर मो0–5,84,509/- (पाँच लाख चौरासी हजार पाँच सौ नौ रूपये) मात्र का दाखिल किया गया है।

दाखिल सभी कागजात विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित एवं विद्वान् विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है।

अतएव तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.18 एवं वाहन स्वामी द्वारा दाखिल शपथ पत्र, बंधपत्र एवं प्रतिभूति के आलोक में बहादुरपुर थाना कांड सं0–93/18 में दिनांक 11.03.18 में जप्त वाहन पंजीयन सं0–BR06GB-7739 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

पारित आदेश की प्रति वाहन विमुक्ति हेतु बंध–पत्र आदि की छायाप्रति साथ थानाध्यक्ष, बहादुरपुर थाना को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्यार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा　　　　समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा